छत्तीसगढ़ सूचना आयोग, रायपुर

<u>अपील प्रकरण क्रमांक 63 / 2006</u>

श्री ओ. पी. वर्मा,
डिप्टी कलेक्टर,
जिला–जशपुर (छत्तीसगढ़)

.... अपीलार्थी

विरूद्ध

जन सूचना अधिकारी,
छत्तीसगढ़ शासन,
गृह विभाग (पुलिस),
मंत्रालय, रायपुर (छत्तीसगढ़) .... प्रतिअपीलार्थी

:: आदेश ::

(दिनांक 20 मार्च 2007)

श्री ओ.पी.वर्मा के द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम–2005 के अंतर्गत छत्तीसगढ़ सूचना आयोग के समक्ष द्वितीय अपील प्रस्तुत की।

2/ अपीलार्थी ने अपने अपील आवेदन–पत्र में उल्लेख किया है कि उसके द्वारा दिनांक 01–09–2006 को जन सूचना अधिकारी, छत्तीसगढ शासन, गृह विभाग को आवेदन प्रस्तुत कर जानकारी चाही थी कि श्री आनंद कुमार तिवारी, राज्य आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो के विरूद्ध शासन में दर्ज शिकायतों की प्रति तथा शिकायतों से संबंधित नस्तियों की प्रति एवं अन्य संबंधित पत्राचार की प्रति चाही थी। जन सूचना अधिकारी के द्वारा उसे सूचित किया गया कि नान–ज्युडिशियल स्टेम्प पर आवेदन शुल्क दिये जाने के कारण उसका आवेदन–पत्र अस्वीकार किया गया। आवेदक के द्वारा सामान्य प्रशासन विभाग की अधिसूचना के संबंध में जन सूचना अधिकारी को अवगत कराया, जिसमें कि नान–ज्युडिशियल स्टेम्प को भी आवेदन शुल्क के रूप में मान्य करने के निर्देश दिये गये हैं। जन सूचना अधिकारी के द्वारा अधिनियम की धारा–8 के अंतर्गत श्री आनंद कुमार तिवारी से पूछा गया कि क्या वे अपनी व्यक्तिगत जानकारी देने को तैयार हैं। श्री तिवारी ने सूचित किया कि वे जानकारी देने को सहमत नहीं हैं, जिस पर कि जन सूचना अधिकारी के द्वारा आवेदक का आवेदन–पत्र अस्वीकार किया गया, जिसके विरूद्ध अपीलार्थी ने प्रथम अपील प्रस्तुत की। प्रथम अपीलीय अधिकारी के द्वारा अपीलार्थी की अपील पर कोई आदेश पारित नहीं किया, जिससे कि असंतुष्ट होकर द्वितीय अपील प्रस्तुत की गई है।

3/ आयोग के द्वारा अपीलार्थी एवं जन सूचना अधिकारी, छत्तीसगढ़ शासन, गृह विभाग तथा प्रथम अपीलीय अधिकारी को नोटिस जारी किया गया। आयोग के द्वारा अपीलार्थी एवं जन सूचना अधिकारी के द्वारा तर्कों एवं लिखित जवाब पर विचार किया गया। प्रकरण के अवलोकन से स्पष्ट है कि अपीलार्थी ने श्री आनंद कुमार तिवारी, राज्य आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो के आई.जी. के विरूद्ध छत्तीसगढ़ शासन, गृह

विभाग में प्राप्त शिकायतों, उन पर की गई कार्यवाही तथा संबंधित पत्राचार की प्रति भी चाही गई थी। जन सूचना अधिकारी के द्वारा निर्धारित अवधि में जानकारी नहीं दी गई। श्री तिवारी से पूछे जाने पर उनके द्वारा जानकारी देने से पत्र दिनांक 10–11–2006 के द्वारा असहमति व्यक्त की। प्रथम अपील प्रस्तुत होने पर प्रथम अपीलीय अधिकारी के द्वारा भी आदेश पारित नहीं किया गया। जन सूचना अधिकारी के द्वारा दिनांक 12–12–2006 को श्री तिवारी के विरूद्ध प्राप्त एक शिकायत की प्रतिलिपि तथा उस संबंध में की गई कार्यवाही तथा मंत्रालय में किये गये आदेश की नोटशीट की छायाप्रति अपीलार्थी को दी गई। उन्हें दिनांक 02–02–2007 को दी गई जानकारी की प्रति भेजी गई तथा सूचित किया गया कि उक्त शिकायतों के आरोपों की पुष्टि में कोई तथ्य प्रस्तुत नहीं किये जाने के कारण विभाग द्वारा शिकायत नस्तीबद्ध की गई। प्रतिअपीलार्थी का यह तर्क है कि श्री आनंद कुमार तिवारी के विरूद्ध एक शिकायत प्राप्त हुई थी, जिसके संबंध में अपीलार्थी को दिनांक 12–12–2006 को जानकारी दे दी गई तथा पुनः यही जानकारी दिनांक 02–02–2007 को भेजी गई। अतः अपीलार्थी को जानकारी दी जा चुकी है। अपीलार्थी का मुख्य तर्क यह है कि जन सूचना अधिकारी के द्वारा पहले उसका नान–ज्युडिशियल स्टॉम्प पर शुल्क अस्वीकार किया गया तथा बाद में अपीलार्थी के द्वारा अधिसूचना की प्रति भेजे जाने पर भी निर्धारित अवधि में जानकारी नहीं दी गई। यह श्री आनंद कुमार तिवारी के व्यक्तिगत जीवन से संबंधित जानकारी नहीं थी, वरन् शासन को प्राप्त शिकायत के संबंध में की गई कार्यवाही की जानकारी नहीं थी। अतः श्री तिवारी की सहमति लिये जाने की आवश्यकता नहीं थी। निर्धारित अवधि में जानकारी नहीं दी गई है, अतः अपीलार्थी जन सूचना अधिकारी पर अर्थदण्ड आरोपित किया जावे।

4/ प्रकरण से स्पष्ट है कि जन सूचना अधिकारी, छत्तीसगढ़ शासन, गृह विभाग को आवेदन–शुल्क लेने के संबंध में नियमों की जानकारी नहीं है यह स्थिति खेदजनक है। शासन स्तर पर ही यदि नियमों की जानकारी नहीं होगी तो अधीनस्थ कार्यालयों में सही मार्गदर्शन नहीं मिल सकता। अतः प्रमुख सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, गृह विभाग को निर्देश दिये जाते हैं कि जन सूचना अधिकारी को निर्देश करे कि वह नियमों का अध्ययन सुचारू रूप से करे तथा उसका पालन करे, जिससे सूचना प्राप्त करने वाले आवेदकों को अनावश्यक परेशानी न हो। प्रकरण से यह भी स्पष्ट है कि अपीलार्थी को छत्तीसगढ़ शासन, गृह विभाग में प्राप्त शिकायत की प्रति एवं शिकायत पर की गई कार्यवाही की प्रति भी प्रदान कर दी गई है। यह जानकारी निर्धारित अवधि में न दिये जाने के फलस्वरूप निःशुल्क प्रदान की गई है। यह अवश्य है कि जानकारी दिये जाने में विलम्ब हुआ है, किन्तु प्रकरण के तथ्यों से यह स्पष्ट होता है कि विलम्ब जनबूझकर अथवा द्वेषवश जानकारी नहीं देने के उद्देश्य से नहीं किया गया है। जन सूचना अधिकारी के द्वारा तृतीय पक्ष से संबंधित जानकारी होने के भ्रमवश उनसे पूछा गया। चूँकि जानकारी शासन स्तर पर की गई कार्यवाही से संबंधित है, अतः यह व्यक्तिगत जानकारी के रूप में नहीं मानी जा सकती। सूचना का अधिकार अधिनियम में स्पष्ट प्रावधान है कि जो जानकारी विधान सभा के समक्ष दी जा सकती है, वह जानकारी आवेदकों को भी दी जावेगी। किसी भी अधिकारी के संबंध में प्राप्त शिकायत एवं उस पर की गई कार्यवाही के संबंध में विधान सभा में जानकारी दिये जाने पर कोई प्रतिबंध नहीं है और न ही इस संबंध में ऐसे कोई प्रमाण है, जिससे कि इसे जनहित में दिये जाने में आपत्ति हो। चूँकि जानकारी देने में जानबूझकर अथवा द्वेषवश विलम्ब नहीं

हुआ है, अतः जन सूचना अधिकारी पर अर्थदण्ड आरोपित किये जाने का आधार नहीं है। अपीलार्थी को जानकारी प्राप्त करने में आर्थिक एवं मानसिक क्षति हुई है, अतः अपीलार्थी को 250/– रुपये की क्षतिपूर्ति छत्तीसगढ़ शासन, गृह विभाग द्वारा प्रदान किये जाने के आदेश प्रदान किये जाते हैं। आदेश की प्रति प्रमुख सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, गृह विभाग को भी भेजी जावे।

5/ उपरोक्त निर्देश के साथ अपील का निराकरण किया जाता है।

(ए. के. विजयवर्गीय)
राज्य मुख्य सूचना आयुक्त